

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बिसौली (बदायूँ)

पत्रांक:-474 / न0पा0परि0बि0 / ई-नि0सू0 / 2026-27 / दिनांक:- 03.10.2026

ई-निविदा सूचना

समस्त अर्ह फर्मों/ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, बिसौली द्वारा राज्य सेक्टर स्कीम 'पेयजल हेतु व्यवस्था योजना' एवं 'सीवरेज एवं जल निकासी योजना' के कार्य ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत ई-निविदा पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक **24.10.2026** को अपरान्ह 01.00 बजे तक ई-निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। निविदाओं/निविदा शर्तों से सम्बन्धित समस्त प्रकार की जानकारी ई-निविदा पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक **03.10.2026** को प्रातः 01.00 बजे से प्रसारित होगी तथा बिड अपलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे तथा यदि उक्त निविदाओं/निविदा शर्तों/निविदा तिथियों में कोई संशोधन होता है, तो उसकी सूचना ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से ही प्रसारित की जायेगी। निर्धारित तिथि/समय को प्राप्त ई-निविदाये निविदादाताओं एवं निविदा कमेटी के समक्ष दिनांक **24.10.2026** को अपरान्ह 05.00 बजे से खोली जायेगी। उक्त से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद बिसौली से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

सूचित हों।



(रवि यादव)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बिसौली (बदायूँ)



(अबरार अहमद)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बिसौली (बदायूँ)

- प्रतिलिपि:-
1. अपर जिलाधिकारी (प्र0) महोदय, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बदायूँ को सादर सूचनार्थ।
 2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बदायूँ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा सूचना जनपदीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
 3. विज्ञापन प्रबन्धक, **दैनिक जागरण समाचार पत्र हिन्दुस्तान** समाचार पत्र, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित निविदा सूचना का कम से कम स्थान में सरकारी दरों पर प्रकाशन कर, बाद प्रकाशन अखबार की तीन प्रतियों सहित बिल वास्ते भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।
 4. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु।
 5. कम्प्यूटर आपरेटर, नगर पालिका परिषद बिसौली को इस आशय से प्रेषित की उक्त निविदा को पालिका की वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु।



अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बिसौली (बदायूँ)



निविदा पत्रांक 474 दिनांक 03.10.2026 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण:-

कार्य का विवरण 'पेयजल हेतु व्यवस्था योजना'	आंगणन राशि (जीएसटी सहित)	अनुमानित आंगणन राशि (G.S.T रहित)	धरोहर राशि 10 प्रतिशत	निविदा का मूल्य (G.S.T सहित) + पोर्टल शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1. नगर पालिका परिषद बिसौली में मौहल्ला कौआ टोला में 15 एच0पी0 ट्यूबवेल का निर्माण एवं तत्संबंधी कार्य।	2834984.00	2402529.00	240300	2450+686+250 =3386	90 Days
2. बिल्सी रोड वार्ड नं0 20 में बैनी महाराज मन्दिर के पास कालौनी में पाईपलाईन विस्तार कार्य	236771.00	200654.00	20100	250+70+250 =570	30 Days
3. वार्ड नं0 10 में साई मन्दिर के पास पाईपलाईन विस्तार कार्य	554392.00	469824.00	47000	500+140+250 =890	30 Days
4. वार्ड नं0 14 में शिया समाज के पास कालौनी में पाईपलाईन विस्तार कार्य	481628.00	408159.00	40900	450+156+250 =826	30 Days
5. वार्ड नं0 10 में श्रीराम कालौनी में पाईपलाईन विस्तार कार्य	333497.00	282625.00	28300	300+84+250 =634	30 Days
'सीवरेज एवं जल निकासी योजना'					
6. वार्ड नं0 09 में गट्टू ठेकेदार के मकान से आसफपुर मोड़ पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	3626139.00	3072999.00	307400	3100+868+250 =4218	90 Days
7. वार्ड नं0 02 में गदरपुरा मोड़ से पिन्दारा रोड तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	2157969.00	1828787.00	182900	1850+518+250 =2618	90 Days
8. वार्ड नं0 20 में मदनजुड़ी रोड पर पूर्व में बने पक्के नाले से सोत नदी की ओर आर0सी0सी0 से नाला निर्माण	3804464.00	3224122.00	322500	3250+910+250 =4410	90 Days
9. वार्ड नं0 13 में हीरालाल के मकान से अरविन्द गुप्ता के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	898381.00	761340.00	76200	800+224+250 =1274	90 Days

नियम व मुख्य शर्तें

- निविदादाताओं द्वारा ई-टेंडरिंग प्रणाली के अन्तर्गत समस्त निर्धारित निविदा प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि जमा सम्बन्धी प्रमाण पर **ट्रान्जेक्शन नम्बर, टैण्डर आई0डी0** अंकित कर निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जायेगा तदोपरान्त मूल ई-निविदा बिड समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित हार्ड कॉपीज व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत की जायेंगी तथा यदि निविदादाता द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- निविदादाताओं को उक्त कार्यों की निविदा प्रपत्रों के साथ **10 प्रतिशत धरोहर राशि (जमानत राशि) आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 / ई पेयमेन्ट** के माध्यम से नगर पालिका परिषद, बिसौली के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिसौली (बदायूँ) में संचालित खाता सं0-**11491354094 (IFSC&SBIN0000598)** में जमा करते हुए जमा विवरण की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। कूट रचित फर्जी धरोहर राशि का प्रमाण स्कैन कर अपलोड करने पर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जायेगा साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- समस्त निविदादाताओं को निविदा मूल्य+जी0एस0टी0 एवं पोर्टल फीस की राशि सहित इस निकाय के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिसौली (बदायूँ) में संचालित खाता सं0-**11491354094 (IFSC&SBIN0000598)** में आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा मूल्य रसीद पर रीमार्क्स में **(टैण्डर आई0डी-अंतिम चार अंक)** एवं ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- समस्त निविदादाताओं को निविदा मूल्य+जी0एस0टी0 एवं पोर्टल फीस की राशि सहित इस निकाय के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिसौली (बदायूँ) में संचालित खाता सं0-**11491354094 (IFSC&SBIN0000598)** में आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा मूल्य आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 फार्म के द्वारा जमा करते समय रीमार्क्स में ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाताओं को अपनी निविदा के साथ स्वयं प्रमाणित अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आयकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र (पैन) एवं श्रम विभाग में अधिष्ठान के पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता के अधिष्ठान का पंजीकरण एवं उ0प्र0 भवन निर्माण एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 एवं उ0प्र0 नियमावली 2009 के अन्तर्गत श्रम विभाग में होना अनिवार्य है तथा निविदा स्वीकृति उपरान्त श्रमिकों (लेबर) का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- एक से अधिक निविदाओं की दरें समान प्राप्त होने की दशा में उनका निस्तारण चयन लाटरी पद्धति से किया जायेगा।

8. जलकल एवं निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृति एवं जलकल एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जलकल एवं निर्माण कार्य का अनुरक्षण/रखरखाव योजनान्तर्गत उल्लिखित शर्तों के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक पाये जाने पर ही अनुबन्ध के साथ जमा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि वापिस होगी अर्थात् शासनादेश सं0-1319/नौ-9-21-45ज/21 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 30-06-2021 के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात 01 वर्ष तक अनुरक्षण/रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। उक्त शासनादेश के अनुसार ही जमानत धनराशि वापस की जायेगी।
9. निविदादाता को शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0-2 दिनांक 08 जून, 2012 के अनुपालन में नियमानुसार अतिरिक्त परफोर्मेंस गारन्टी से सम्बन्धित नियमों का पालन करना होगा। निर्देशों के क्रम में 10 प्रतिशत कम दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 1 प्रतिशत, प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारन्टी ली जायेगी। कार्य की लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफोर्मेंस गारन्टी के रूप में 01 वर्ष तक रोकने के उपरान्त निर्मित कार्य का सन्तोषजनक रख-रखाव पाये जाने की दशा में ही सम्बन्धित निविदादाता को इसका भुगतान किया जायेगा।
10. निविदादाताओं को जलकल एवं निर्माण से सम्बन्धित शासनादेश एवं समय-समय पर जारी विभिन्न नियमों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
11. तकनीकी बिड के मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही फाइनेन्शियल बिड पर विचार किया जायेगा।
12. निविदा स्वीकृति उपरान्त यदि निविदादाता द्वारा कार्य करने से इन्कार किया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त करते हुए सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा पालिका पर पड़ने वाला अतिरिक्त व्ययभार का इन्कार करने वाले निविदादाता की जनरल जमानत से वसूल किया जायेगा।
13. निविदा स्वीकृति उपरान्त नियत स्टाम्प पर निविदादाता को स्वयं के व्यय पर पालिका के साथ निर्धारित अवधि में अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाताओं को 100रु0 के स्टाम्प पर निर्धारित टी0-6 प्रारूप पर फोटोयुक्त घोषणा-पत्र इन शर्तों के साथ कि वह किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टिड नहीं हुए हैं तथा साथ ही उन पर कोई आपराधिक मुकद्दमा व माफिया आदि गतिविधियों के रूप में कोई वाद उनके विरुद्ध किसी मा0 न्यायालय में पंजीकृत नहीं है, ई-निविदा के साथ संलग्न करना होगा, जिसका प्रारूप कार्यालय से कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही निविदादाता को शपथ पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि हैसियत प्रमाण पत्र में दर्शाई गई सम्पत्ति का कोई अंश विक्रय/दान नहीं किया गया है।
15. ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों एवं मानक के अनुरूप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार तथा समय समय पर जारी शासकीय गाइड लाइन के अनुरूप पूर्ण कराना होगा।
16. निविदादाता द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सीमेंट, रेता, बजरी, बजरफुट, लोहा, स्टील, कंक्रीट, ईट, पत्थर इत्यादि सामग्री मानक के अनुसार प्रयोग की जायेगी एवं जलकल एवं भवन निर्माण कार्य में फॉर्मवर्क, क्लैडिंग, फिक्स्चर, और बाहरी फिनिशिंग कार्य, विद्युतीकरण एवं जलकल व्यवस्था मानक एवं मॉडल डिजाइन के अनुसार ही पूर्ण कराया जायेगा।
17. निविदा स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार/फर्मों को निर्माण कार्य ऐज-टू-ऐज कराना होगा अर्थात् सड़कों के दोनों ओर नाली से नाली तक सड़क निर्मित करानी होगी। सड़क के साथ निर्मित नाली में जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी कि जल निकासी हेतु स्लोप (ढाल)/प्रवाह किस ओर है जल निकासी में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाये। निर्धारित मानक के अनुरूप Factory made 80mm thick interlocking cement concrete tiles having cap. Strength 30mpa including 25mm thick compacted bed of fine sand compacting and proper embedding/laying tiles leveling and dressing of surface to required level slop इण्टरलॉकिंग टाइल्स से निर्माण कार्य कराया जाये। इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण में तब लगायी जायेगी जब उसकी लोक निर्माण विभाग, बदायूँ तकनीकी अन्वेषण प्रयोगशाला में स्ट्रेन्थ जाँच करा ली जायेगी।
18. इसके अतिरिक्त ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्माण में प्रयुक्त भट्टे की ईट, चिनाई में प्रयुक्त मसाला सामग्री सी0सी0 क्यूब आदि की जाँच लोक निर्माण विभाग, बदायूँ/अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला से करायी जायेगी। ठेकेदार/फर्म द्वारा स्वीकृत किये गये कार्य का विवरण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व निर्माण स्थल पर फर्म और ड्रिलिंग एजेंसी के पते वाला एक साइनबोर्ड लगाएं और स्थल को कांटेदार तार की बाड़ से घेरना होगा। कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत सूचनापट डिस्प्ले बोर्ड सदृश्य स्थान पर स्थापित किया जायेगा, जिसमें कार्यदायी संस्था का नाम, योजना का पूर्ण विवरण, निर्माण कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ होने व कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि का उल्लेख, अनुमानित लागत आदि को अंकित किया जायेगा।
19. शासन के निर्देशों के अनुरूप आयकर, रॉयल्टी, जी0एस0टी0-टी0डी0एस0, सेसकर उपकर आदि की व्यवस्था लागू रहेगी। ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री रेता, बंजरी बालू, पत्थर की गिट्टी इत्यादि खनिज मैटेरियल के सापेक्ष रॉयल्टी मद में रोकी गयी धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु नियमानुसार अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों परिवहन पर अभिवहन प्रपत्र अर्थात् वैध परिवहन प्रपत्र (ई0एम0एम0-11) रवन्ना प्रस्तुत करने होंगे। परिवहन पत्र वैध/सही पाए जाने पर ही ठेकेदार के बिल से रायल्टी मद में रोकी गयी धनराशि सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी। अन्यथा अद्यतन शासनादेश के अन्तर्गत नियमानुसार बीजक से रायल्टी एवं पैनाल्टी काटी जायेगी तथा सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।
20. सर्वाधिकार नगर पालिका परिषद, बिसौली में सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद बदायूँ न्यायालय होगा।

21. निविदादाता के पक्ष में नियमानुसार निविदा न्यूनतम होने के उपरान्त, यदि निविदादाता का पंजीकरण इस निकाय में नहीं है, तब ऐसी दशा में निविदादाता को पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क अंकन-31,000/- रु. नकद जमा रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-बैंकिंग के माध्यम से अदा कर पंजीकरण सम्बन्धी समस्त दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे, उसके उपरान्त ही नियमानुसार अनुबन्ध गठित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
22. निविदा स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार/फर्म द्वारा कराये गये जलकल एवं निर्माण/अधिष्ठापन कार्य भुगतान से पूर्व सक्षम स्तर/जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित कमेटी से तकनीकी स्थलीय जाँच करानी होगी।
23. इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से वेब साइट (<https://etender.up.nic.in>) को देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा कृत सूचना उक्त वेब साइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
24. टेक्निकल एवं फाइनेंशियल बिड फॉर्म, 100 रुपये का स्टाम्प पर स्व घोषणा पत्र नोटरी सहित मय रसीदी टिकट बिड के साथ अपलोड किया जाये। भविष्य में निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सेवाओं/शर्तों में परिवर्तन के नियमों व शर्तों स्वीकार करने के सम्बन्ध में सहमति पत्र अपने संस्था के लेटर पैड पर टंकित कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
25. निविदादाता को अपनी फर्म/ठेकेदारी का पिछले वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर जो कि निविदा प्रक्रिया में भाग लिये गये कार्य की निर्माण लागत से दो गुना हो, वार्षिक टर्न ओवर सर्टिफिकेट जोकि चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित हो की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एवं मासिक जीएसटी-3बी रिटर्न तथा आयकर रिटर्न से सम्बन्धित आईटीआर अथवा 26AS दाखिल करने का प्रमाणक बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
26. निविदादाता को नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत में जलकल एवं निर्माण कार्य कराने का पंजीकरण एवं जलकल एवं निर्माण कार्य कराने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. ठेकेदार अथवा फर्म की बिड कैपीसिटी निविदा लागत से अधिक होनी चाहिए का प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य होगा।
28. ठेकेदार अथवा फर्म के पास उक्त जलकल एवं निर्माण कार्यों को कराने के लिए पर्याप्त मशीनरी आदि एवं तकनीकी कार्मिक होने का प्रमाण निविदा प्रपत्रों में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
29. ठेकेदार अथवा फर्म के निविदादाता को ISO 9001-2015, ISO 45001-2018, ISO 14001-2015 प्रमाण पत्र जो कि वैध तिथियों के साथ हों निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
30. ठेकेदार अथवा फर्म को यू0पी0इलैक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रदत्त ई-टेण्डरिंग रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
31. उक्त कार्यों की विशिष्टियों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में की जा सकती है।
32. एकल अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है।
33. आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
34. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
35. ठेकेदार टेंडर डालने से पूर्व समस्त संलग्न प्रपत्रों का भलीभांति अध्ययन कर लें, इसके पश्चात ही वह अपने टेंडर डाले। बिल आफ क्वांटिटी की टाइपिंग में कोई त्रुटि अथवा किसी आईटम की भाषा अपूर्ण है तो इसका लाभ ठेकेदार/फर्म को कदापि देय न होगा अपितु शेडयूल आइटम की पूर्ण भाषा ही माना जायेगा इसी प्रकार यदि रेट में कोई गलती होती है तो वह शेडयूल ऑफ रेट के अनुसार ही माना जायेगा।
36. जलकल कार्य हेतु ड्रिलिंग एजेंसियों (सरकारी या निजी) को स्थानीय जिला प्रशासन के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
37. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी एवं उसके परिवार के रूप में परिभाषित हो) जैसा कि नगर पालिका बिसौली में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का एफीडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि नगर पालिका बिसौली में कार्यरत है।
38. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवा निवृत्ति के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेंगे तो संज्ञान में आते ही उनके कार्य का अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
39. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिवस होगी। एक बार प्रस्तुत की गई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र अपलोड की अवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही प्रमाणिक माने जायेंगे।
40. इस निविदा के उपरोक्त नियम व मुख्य शर्तों को बिड अपलोड करते समय हस्ताक्षर कर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा। रु0 40.00 लाख से कम लागत के कार्यों के लिए यूएलबी टी-1 के अनुरूप परीक्षण किया जायेगा।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बिसौली (बदायूँ)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बिसौली (बदायूँ)